न्यायालय सहायक कलक्टर(SDO),भीण्डर जिला उदयपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी : श्री रमेश चन्द्र बहेडिया, आर.ए.एस.

पत्रावली संख्या : 74/22(प्रा0पत्र)

GCMS No. : 2022/260

अनवान्

1. श्री महासत्याजी स्थान राजपुरा जरिये वाद मित्र–
अनूपकुमार पुत्र केशवलाल, जाति ब्राह्मण (श्रीमाली) निवासी कानोड तहसील कानोड जिला उदयपुर राज.।

.............प्रार्थीया

बनाम

1. श्री शंकर पुत्र भेरा जाति रेगर निवासी रेगरों का मोहल्ला दरवाजे के पास कानोड तहसील कानोड जिला उदयपुर राज.।
2. श्री राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारी तहसीलदार कानोड तहसील कानोड जिला उदयपुर राज.।

..................विपक्षी

उपस्थित–1. श्री मुकेश डांगी, अधिवक्ता प्रार्थी।
3. श्री नारायणलाल जाट, अधिवक्ता विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

–: : निर्णय : :–

दिनांकः–15.04.2024

1. प्रार्थी ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया उसके साथ ही एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् प्रस्तुत किया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि यह कि मौजा कानोड चक ए पटवार हल्का कानोड भू. अ. निरीक्षक क्षेत्र कानोड तहसील कानोड जिला उदयपुर राज. की आराजी न. 357 किता 1 रकबा 0.9300 हैक्टयर भूमि है। उपरोक्त कृषि भूमि राजस्व अभिलेख में विपक्षी संख्या 1 के नाम पर दर्ज हैं।

2. यह कि प्रार्थना पत्र में वर्णित खसरा संख्या 357 क्षैत्रफल 0.9300 हैक्टयर भूमि के गत खसरा संख्या 160 मीन क्षैत्रफल 04 बीघा 06 विस्वा थे। खसरा संख्या 160 मीन के मूल खसरा संख्या 160 थे जिसका मूल क्षै. 04 बीघा 08 बिस्वा था एवं उपरोक्त खसरा संख्या 160 क्षै. 04 बीघा 08 बिस्वा भूमि प्रार्थी श्री महासत्याजी स्थान राजपुरा के खातेदारी अधिकार एवं आधिपत्य की हैं जिसकी पुष्टि में बंदोबस्ती जमाबंदी संवत् 1999 [illegible] पेश है। खसरा संख्या 160 क्षै. 04 बीघा 08 बिस्वा भूमि में से 02 बिस्वा [illegible] दर्ज जिसके इसके बाद प्रार्थी श्री महासत्या जी स्थान राजपुरा के [illegible] कृषि भूमि खसरा संख्या 160 मीन क्षै. 04 बीघा 06 बिस्वा के रूप में रही एवं [illegible] बंदोबस्त के बाद प्रार्थी श्री महासत्या जी स्थान राजपुरा के खातेदारी अधिकार एवं आधिपत्य की कृषि भूमि खसरा संख्या 160 मीन क्षै.

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2024.06.13 16:22:10 IST
Reason: SelfAttested

04 बीघा 06 बिस्वा के नवीन खसरा संख्या 357 क्षै. 0.9300 हे0 दर्ज किये गये हैं। प्रार्थी के खातेदारी अधिकार एवं आधिपत्य की कृषि भूमि खसरा संख्या 357 क्षै. 0.9300 है. के लिए विपक्षी सं. 1 द्वारा पत्थरगढी का प्रकरण पेश किया गया जिसमें विपक्षी संख्या 1 द्वारा इस प्रार्थना पत्र के वाद मित्र को भी पडौसी होने से पक्षकार बनाया गया। विपक्षी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत पत्थरगढी के प्रकरण की जो प्रति इस प्रार्थना पत्र के वाद मित्र को प्राप्त हुई उसको देखने के बाद इस प्रार्थना पत्र के वाद मित्र को पता चला कि इस प्रार्थना पत्र में अंकित प्रार्थी के खातेदारी अधिकार एवं आधिपत्य की कृषि भूमि खसरा संख्या 357 क्षै. 0.9300 है. भूमि को लेकर विपक्षी संख्या 1 द्वारा पत्थरगढी का जो प्रकरण पेश किया गया उससे विपक्षी संख्या 1 ने स्वयं को इस भूमि का खातेदार काश्तकार होकर आधिपत्यधारी होना बताया एवं यह भूमि राजस्व अभिलेख में भी विपक्षी संख्या 1 के नाम पर ही दर्ज होना बताया। प्रार्थना पत्र के वाद मित्र ने विपक्षी संख्या 1 को कहा कि इस प्रार्थना पत्र में अंकित प्रार्थी के खातेदारी अधिकार एवं आधिपत्य की कृषि खसरा संख्या 357 क्षे. 0.9300 है. विपक्षी संख्या 1 के नाम पर राजस्व अभिलेख में पुरी तरह से अवैध एवं शुन्य प्रभावी तरीके से एवं विधि विरुद्ध रूप से गलत दर्ज है एवं विपक्षी संख्या 1 इस कृषि भूमि को राजस्व अभिलेख में पुनः प्रार्थी के नाम पर खातेदारी हक से अंकित करावें।

यह कि प्रार्थी के खातेदारी अधिकार एवं आधिपत्य की कृषि भूमि खसरा संख्या 357 क्षै. 0.9300 हैक्टयर वर्तमान राजस्व अभिलेख में विपक्षी संख्या के नाम पर दर्ज है जिससे विपक्षी संख्या 1 इस भूमि पर जबरन कब्जा करेगा, इसीलिए विपक्षी सं. 1 ने पत्थरगढी का प्रकरण भी पेश किया है एवं इस भूमि को विपक्षी संख्या 1 अन्य लोगों को अवैध एवं शुन्य प्रभावी तरीके से विक्रय भी करेगा, जिस पर इस प्रार्थना पत्र के वाद मित्र ने विपक्षी 1 को यह समझाने की बहुत कौशिश की कि वह बेवजह प्रार्थी के हक अधिकारों को नुकसान कारित नहीं करें। यह कि प्रार्थी शाश्वत नाबालिग है एवं प्रार्थी के हक अधिकारों की रक्षा किया जाना न्यायहित में बहुत ही आवश्यक है अतः विपक्षी को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किये जाने का निवेदन किया।

4. प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर विपक्षी को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रकरण में विपक्षी 2 द्वारा जवाब पेश नही करना चाहा। विपक्षी संख्या 1 द्वारा प्रारंभिक आपत्तिया व जवाब पेश किया गया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रिजमशन ऑफ जागीर एक्ट 1952 और राजस्थान टिनेन्सी एक्ट 1955 के प्रभाव में आने से पहले वादग्रस्त भूमि का हस्तांतरण बहैसियत माफी खड़म के हुआ है। इस भूमि बाबत् विकय पत्र दिनांक 08.08.1951 का निष्पादित होकर दिनांक 09.08.1951 को विकय पत्र का पंजीयन हुआ है। भूमि पर कब्जा केता भेरा पिता पुराजी बोला का था और उनकी मृत्यु के बाद विपक्षी संख्या 1 [illegible] के मूल खसरा संख्या 160 है जिसका मूल क्षै. 04 बीघा 08 [illegible] रही। यह [illegible] 2 बिसवा भूमि सडक मार्ग में जाने से शेष भूमि 04 बीघा 06 बिस्वा [illegible] सम्पूर्ण भू[illegible]क्षी संख्या 1 के पिता श्री भेरा पिता पुराजी बोला के नाम खातेदार कब्जेदार की [illegible]। यह कथन मिथ्या है कि भूमि प्रार्थी महासत्या जी राजपुरा के खातेदार अधिकार एवं आधिपत्य की हैं जो कतई स्वीकार नहीं है तथा

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2024.06.13 16:22:10 IST
Reason: SelfAttested

बंदोबस्ती नकल संवत् 1999 भी मिथ्या होने से स्वीकार नहीं हैं। खसरा नम्बर 160 मीन क्षै. 04 बिघा 06 बिस्वा के नवीन खसरा संख्या 357 क्षै. 0.9300 है. दर्ज किये गये है अन्य कथन मिथ्या बनावटी होने से स्वीकार नहीं हैं। प्रार्थना पत्र में अनूपकुमार पुत्र केशवलाल ब्राह्मण (श्रीमाली) ने अपने आपको वाद मित्र अंकित किया है तथा वाद मित्र शब्द को आधार बना कर प्रार्थना पत्र में बार-बार वाद के वाद मित्र शब्द का उपयोग किया है न तो अनूपकुमार वाद मित्र है और न वादग्रस्त भूमि से इस व्यक्ति का तथा महासत्या जी का कोई संबंध है न इनका स्वत्व हैं। न इनका स्वत्व था इसलिए हर कलम में बार-बार वाद के वाद मित्र और प्रार्थी के खातेदारी अधिकार आधिपत्य का उल्लेख किया जो पूर्ण रूप से मिथ्या बनावटी एवं झूठ है जिससे यह कलम भी स्वीकार नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया।

5. प्रकरण में विपक्षी संख्या 1 द्वारा काउन्टर प्रार्थना पत्र पेश किया गया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि मौजा कानोड चक ए पटवार हल्का कानोड भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र कानोड तहसील कानोड जिला उदयपुर राज. में पुराना आराजी नम्बर 160 क्षे. 04 बीघा 06 बिस्वा जिसके नये आराजी नम्बर 357 क्षै. 0.9300 है. किस्म भूमि चाही द्वितीय स्थित है जो वर्तमान राजस्व रेकर्ड में विपक्षी संख्या 1 शंकर पिता भेराजी रेगर के खातेदारी आधिपत्य की है। यह भूमि सन् 1951 यानि 70 वर्षो से भी अधिक समय से काउन्टर प्रार्थना पत्र प्रस्तुतकर्ता एवं उनके पूर्वाधिकारी श्री भेराजी के खाते कब्जे उपयोग उपभोग में चली आ रही है इस भूमि से कटी हुई काउन्टर प्रार्थना पत्र प्रस्तुतकर्ता की दुसरी भूमि पुराना आराजी नम्बर 151, 158, 159/3 क्षै. 02 बीघा जिसके नये आराजी नम्बर 354 क्षै. 0.2600, आराजी नम्बर 355 क्षै. 0.0100 आ.चाह (कुंआ) एवं आराजी नम्बर 356 क्षै. 0.1000 चाही द्वितीय हैं। दोनों जमीन एक चक होकर इनको आवाद करने में काउन्टर प्रार्थना पत्र प्रस्तुतकर्ता और परिवारजनों ने लाखों रूपये खर्च किये कुआं खुदवाया तथा कुएं से सिचाई वादग्रस्त भूमि की भी कर रहें है। इसी कारण हाल पैमाईश में वादग्रस्त भूमि को चाही द्वितीय दर्ज किया। वादग्रस्त भूमि पर स्थापित कब्जा 70 वर्षो से ज्यादा समय से वहैसियत खातेदार काउन्टर प्रार्थना पत्र प्रस्तुतकर्ता और अनके पूर्वाधिकारी का हैं। प्रार्थी प्रार्थनाग्रस्त भूमि में अतिक्रमण करेगा इसलिए काउन्टर प्रार्थना पत्र पेश किया जाना आवश्यक है। अतः काउन्टर प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी को अस्थाई निषेधाज्ञा से पावंद किये जाने का निवेदन किया।

6. प्रार्थी द्वारा काउन्टर प्रार्थना पत्र का जवाब व विशेष कथन पेश किये गये जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थनाग्रस्त भूमि वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में यह भूमि विपक्षी संख्या 1 के नाम पर पूरी तरह से गलत तरीके से अवैध एवं शून्य [illegible] हैं, जिसके आधार पर विपक्षी संख्या 1 को उपरोक्त भूमि में [illegible] नहीं होते हैं। उपरोक्त वादग्रस्त आराजी संख्या 357 क्षै. 0.9300 है [illegible] विपक्षी सं. 1 एवं उनके पूर्वाधिकारी श्री भेराजी के कब्जे एवं उपयोग-उपभोग में कभी नहीं रही है एवं [illegible] रिकॉर्ड में गलत तरीके से इनके नाम पर दर्ज रही है। वादग्रस्त आराजी नम्बर 357 क्षै. 0.9300 हैक्टयर भूमि का विपक्षी संख्या 1 की

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2024.06.13 16:22:10 IST
Reason: SelfAttested

अन्य भूमि के साथ मिली हुई होकर एक चक होने का कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता है तथा वादग्रस्त भूमि पर विपक्षी संख्या 1 एवं उसके परिवारजन द्वारा किसी भी तरह से कोई भी रूपये खर्च किये जाने का एवं वादग्रस्त भूमि को आबाद करने का कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता हैं। विपक्षी संख्या 1 प्रार्थी श्री महासत्या जी स्थान राजपुरा जो के शाश्वत नाबालिग है, उनकी भूमि को जबरन अवैध रूप से हड़प करना चाहता है। विपक्षी संख्या 1 द्वारा राजस्व रिकॉर्ड में अंकित गलत अंकन के आधार पर आपराधिक तरीके से प्रार्थी के खातेदारी अधिकार एवं आधिपत्य की भूमि को यदि किसी भी तरीके से रहन रखा गया है, तो विपक्षी संख्या 1 का यह कृत्य भी विपक्षी संख्या 1 प्रार्थी का किसी भी तरीके से हित चाहने वाला नहीं हैं। विपक्षी संख्या 1 का एक मात्र उद्धेश्य झूठे काउन्टर प्रार्थना पत्र की आड में प्रार्थी श्री महासत्या जी स्थान राजपुरा के हक अधिकारो को अवैध रूप से नुकसान पहुँचाना है। अतः काउन्टर प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया।

7. हमने प्रकरण में उभयपक्ष की बहस को सुना। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता विपक्षी द्वारा जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थना पत्र खारिज कर व काउन्टर प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। हमने अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 अस्थाई निषेधाज्ञा निर्णय के लिए तीनों बिन्दु पर विवेचन आवश्यक है

1. **प्रथम दृष्टया मामला :–** वादी द्वारा एक वाद अन्तर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश किया गया है उसी के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश कर विपक्षी को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किये जाने का निवेदन किया। प्रकरण में प्रथम दृष्टया पाया कि प्रार्थनाग्रस्त भूमि विपक्षी संख्या 1 के नाम अंकित है। प्रार्थनाग्रस्त भूमि अवयस्क मंदिर मूर्ति से संबंधित होने से प्रार्थी द्वारा वाद मित्र के तौर पर प्रार्थना पत्र पेश कर कथन कहा गया है कि प्रार्थनाग्रस्त खसरा संख्या 357 क्षैत्रफल 0.9300 हैक्टयर भूमि के गत खसरा संख्या 160 मीन क्षैत्रफल 04 बीघा 06 बिस्वा थे। खसरा संख्या 160 मीन के मूल खसरा संख्या 160 थे जिसका मूल क्षै. 04 बीघा 08 बिस्वा था एवं उपरोक्त खसरा संख्या 160 क्षै. 04 बीघा 08 बिस्वा भूमि प्रार्थी श्री महासत्याजी स्थान राजपुरा के खातेदारी अधिकार एवं आधिपत्य की हैं जिसकी पुष्टि में बंदोबस्ती जमाबंदी संवत् 1999 की नकल पेश की है व विपक्षी संख्या 1 के नाम उक्त प्रार्थनाग्रस्त आराजीयात गलत तरीके से दर्ज है जिसे [illegible] मूर्ति के नाम दर्ज कराई जाने का निवेदन किया। हमने पाया कि प्रार्थनाग्रस्त भूमि संवत 1999 जमाबंदी मेवाड सेटलमेन्ट में श्री महासत्याजी स्थान राजपुरा के नाम अंकित है तथा शिकमी के तौर पर किशनलाल वल्द मोडा ब्राहमण (पुजारी) का नाम अंकित है। पुजारी द्वारा उक्त भूमि को विक्रय किया है। देवस्थान की भूमि को विक्रय नहीं किया जा सकता है। विपक्षी द्वारा यह

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2024.06.13 16:22:10 IST
Reason: SelfAttested

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है तथा विपक्षी का काउन्टर प्रार्थना पत्र अस्वीकार योग्य पाया जाता है।

–: आदेश :–

परिणामस्वरूप विपक्षी का काउन्टर प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जाता है तथा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा कानोड चक ए पटवार हल्का कानोड भू–अभि.नि.क्षैत्र – कानोड, तहसील कानोड, जिला उदयपुर (राज.) कीं खाता संख्या नया 866 की आराजी नंबर 357 कुल किता 1 रकबा 0.9300 हैक्टेयर भूमि में विपक्षी संख्या 1 मूल वाद के निरतारण तक मौके एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखे व प्रार्थनाग्रस्त भूमि में कोई हस्तक्षेप नहीं करें, किसी भी तरह से कोई नुकसान कारित नहीं करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों।

निर्णय खुले ईजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2024.06.13 16:22:10 IST
Reason: SelfAttested